वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– PPIUCD Clinical Training

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.9.6.6.1 and A.9.6.6.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण – गत वर्षो में संस्थागत प्रसव में आशातीत बढ़ोत्तरी होने के कारण प्रसवोपरान्त तुरन्त IUD संस्थापन हेतु PPIUCD कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। इस हेतु प्रशिक्षित डाक्टर/नर्सो की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। सभी मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पताल/प्रा0स्वा0केन्द्र पर प्रसवोपरानत IUD कार्यक्रम (PPIUCD) कार्यक्रम को बढ़ावा देना है जिसके अन्तर्गत प्रसव के पश्चात् कॉपर–टी insertion की सुविधा प्रदान करना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है।

यह प्रशिक्षण 13 बैचों में दी जानी है। प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण की राशि 48120/– की गई है। इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण Jhpiego संस्था के सहयोग से सम्पन्न किया जाना है। यह प्रशिक्षण Medical Colleges में होगी । एक बैच में 8 प्रशिक्षणार्थी भाग लेगें तथा प्रशिक्षण की अवधि 3 दिनों की होगी । प्रशिक्षण संबंधित राशि को Medical Colleges को निर्गत किया जायेगा।

प्रशिक्षणार्थियों के TA का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से भुगतान किया जाना है।

इकाई राशि (रू० में)–48120.00/-per batch

Note : Time Line – यह प्रशिक्षण Till 3rd Qtr तक सम्पन्न कर लिया जाना है ।

Break up Budget:

PPIUCD Clinical Traning (District level)2011-12		
	MO	
Duration of Training	3 Days	
Participants	Medical Officer	
Venue	Medical College	
Batch Size	8 Participants	
Trainer	3 Master Trainers	
Break Up of Budget 2011-12		
Particular	**Medical Officer**	**Total**
DA for Trainees(MO)	Rs. 700 X 3Days X 8 participant =	16800.00
Honorarium to guest faculty	Rs.1000 X 3Days X 3 participants =	9000.00
Lunch + Snacks	Rs.200 X 3Days X 10 participants =	6000.00
Contingency	Rs.250X 8 participants X 3days =	6000.00
IOH 15%		5700.00
Lodging of Trainees at SIHFW	Rs. 140 x 3 days x 8 participant =	3360.00
Lodging of Trainer at SIHFW	Rs. 140 x 3 days x 8 participant =	1260.00
TA for Trainers (as per State Govt Rule or actual which ever is less.)		
TA for Trainees (as per State Govt Rule or actual which ever is less.)	To be claimed at DHS	
Total		**48,120.00**

* उपरोक्त प्रशिक्षण में चिकित्सा पदाधिकारियों को भाग लेने हेतु जिलों को बाद में पत्र के माध्मय से सूचित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण संबंधित दिशा–निर्देश कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुये जिलों के मात्र अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का फोन नं० : 9470003017, 9431005971